"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 760] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 नवम्बर 2019 — कार्तिक 16, शक 1941

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2019

निर्वाचन व्यय (मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति गठन एवं दत्त मूल्य समाचार विनियमन) आदेश, 2019

आदेश

क्रमांक एफ–54–2/तीन(दो)/न.पा./विविध/2019/2193.— लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन परम् आवश्यक है। धनबल के साये में कोई भी निर्वाचन कदापि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं हो सकता है। नगरपालिकाओं का निर्वाचन भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है।

और चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के संविधान द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;

और चूंकि, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14–क और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32–क के अन्तर्गत यथास्थिति, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगरपंचायत के पार्षद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि ऐसे निर्वाचन के सिलसिले में उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत समस्त व्यय का पृथक् और सही लेखा ऐसी विशिष्टियों के साथ रखा जाए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाए;

और चूंकि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14–क और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32–क के अन्तर्गत यथास्थिति, नगरपालिक निगमया नगरपालिका परिषद या नगरपंचायत के पार्षद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करे;

और चूंकि राज्य निर्वाचन आयेाग, निर्वाचन में धन–बल की अनिष्टकारी भूमिका को रोकने के लिए अन्य उपायों के साथ–साथ यह आवश्यक और वांछनीय मानता है कि अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्ययों का लेखा यथाशक्य व्यापक और वास्तविक व्यय को प्रतिबिंबित करने वाला हो;

और चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचनों में व्यय लेखा संधारण एवं प्रस्तुति के सन्दर्भ में निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश,दिनांक 31 अक्टूबर 2019 जारी किया गया है;

अतः राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14–क और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32–क के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–यक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के संविधान एवं उक्त अधिनियमों के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पूर्व में जारी निर्वाचन व्यय (मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति गठन एवं दत्त मूल्य समाचार विनियमन) आदेश 2014 दिनांक 11 दिसम्बर 2014 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश करता है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ**– (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन व्यय (मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति गठन एवं दत्त मूल्य समाचार विनियमन) आदेश, 2019 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

(3) यह "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं और अभिव्यक्ति**– इस आदेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगमया किसी नगरपालिका परिषद या नगरपंचायत में पार्षद के पद के लिए कराये जा रहे निर्वाचन में सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ है;

(ख) "कंडिका" से अभिप्रेत है इस आदेश की कंडिका;

(ग) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है किसी नगरपालिक निगम या नगरपालिका परिषद या नगरपंचायत के पार्षद के पद के लिए कराये जाने वाला निर्वाचन;

(घ) "निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगमया किसी नगरपालिका परिषद या नगरपंचायत में पार्षद के पद के लिए कराये जा रहे निर्वाचन में सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ है तथा जिसने निर्वाचन नियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है;

(ङ) "निर्वाचन व्यय" से अभिप्रेत है किसी निर्वाचन के संबंध में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय, जो उसके नाम निर्दिष्ट होने और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच, (जिसके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं) किया गया है;

(च) "निर्वाचन व्यय संपरीक्षक" से आशय वही होगा जो निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 में परिभाषित है;

(छ) "मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (संक्षेप में एमसीएमसी)" से अभिप्रेत है कंडिका 3 अथवा 4 के अन्तर्गत गठित समिति;

(ज) "दत्त मूल्य समाचार (संक्षेप में दमूस)" से अभिप्रेत है कोई भी खबर या विश्लेषण जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नकद या अन्य किसी रूप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया है; एवं

(झ) प्रयुक्त किये गये उन शब्दों तथा पदों का जो इस आदेश में परिभाषित नहीं किये गये हैं, वही अर्थ होगा जो, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) या छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में उनके लिये दिया गया है।

3. **जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी)**

3.1 प्रत्येक जिले में निर्वाचन हेतु निम्नलिखित सदस्यों की जिला स्तरीय एमसीएमसी गठित की जावेगी–

(क)	जिला निर्वाचन अधिकारी	– अध्यक्ष
(ख)	जिला में पदस्थ उप संचालक/सहायक संचालक, जनसम्पर्क	– सदस्य सचिव
(ग)	कलेक्टर द्वारा मनोनीत जिला में प्रचलित प्रमुख समाचार पत्रों के संवादाताओं में से एक प्रतिनिधि	– सदस्य

3.2 समिति को दो भिन्न कार्य करने होंगे:–

(1) विज्ञापनों के प्रमाणन हेतु ऐसे विज्ञापनों पर विचार कर उन पर निर्णय लेना।

(2) शिकायतों/दमूस के मामलों इत्यादि की अनुवीक्षण व्यवस्था द्वारा जांच करना।

3.3 एमसीएमसी सभी प्रकार के मीडिया यथा, समाचार–पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, इंटरनेट, सोशल मीडिया इत्यादि की निम्नलिखित हेतु बारीकी से जांच करेगा:–

(क) दमूस के मामले में जांच कर यह निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि मामला दमूस श्रेणी का है, निर्वाचन व्यय लेखों में प्रकाशित सामग्री पर वास्तविक व्यय को शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना देगा, चाहे अभ्यर्थी ने चैनल/समाचार पत्र को वह राशि दी है या नहीं दी है। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित अभ्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त उनके निर्वाचन व्यय लेखों में प्रकाशित सामग्री पर वास्तविक व्यय को शामिल करने हेतु उनको आदेश देगा। दमूस के संदेहास्पद मामले में नोटिस की प्रति निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को भी मार्क की जाएगी। यह समिति दमूस के उन मामलों पर भी सक्रियतापूर्वक विचार करेगा, जो इसे व्यय प्रेक्षक/निर्वाचन व्यय संपरीक्षक द्वारा भेजे गये हैं।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण, यह देखने के लिए कि समिति द्वारा प्रमाणन के पश्चात् ही तथा प्रमाणन अनुसार प्रसारण किया गया है।

(ग) निर्वाचन अनुवीक्षण दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों के संबंध में अन्य मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण, (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अन्यों द्वारा अभ्यर्थियों की निर्वाचन संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपील या विज्ञापन या प्रचार भी शामिल होगा)।

(घ) क्या प्रिंट मीडिया में विज्ञापन अभ्यर्थी के प्राधिकार से दिये गए हैं तथा किस मामले में यह अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों में डाला जाएगा ? यदि विज्ञापन अभ्यर्थी के प्राधिकार के बिना दिया गया है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ज के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के विरूद्ध अभियोजन के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

(ङ) क्या छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा 14–क के अधीन अपेक्षित किसी निर्वाचन पैंफ्लेट, पोस्टर, हैंड बिल तथा अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम और पता लिखा गया है। यदि किसी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक या प्रकाशक के नाम का उल्लेख नहीं है तो एमसीएमसी आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस में लाएगी। छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा 14–क के प्रयोजनार्थ दमूस को भी अन्य दस्तावेजों की श्रेणी में माना जाएगा।

4. संभाग स्तरीय एमसीएमसी

4.1 जिला स्तरीय एमसीएमसी के आदेश अथवा विनिश्चियन के विरूद्ध कोई भी अपील आदेश अथवा विनिश्चियन की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर संभाग स्तरीय एमसीएमसी को की जा सकेगी।

4.2 प्रत्येक संभाग में निर्वाचन हेतु एक संभाग स्तरीय एमसीएमसी रहेगी, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

(क)	संभागीय आयुक्त	– अध्यक्ष
(ख)	संयुक्त संचालक, जनसंपर्क	– सदस्य सचिव
(ग)	आयुक्त द्वारा मनोनीत संभाग में प्रचलित प्रमुख समाचार पत्रों के संवाददाताओं में से एक संवाददाता	– सदस्य

4.3 उक्त संभाग स्तरीय एमसीएमसीविज्ञापनों के प्रमाणन एवं दत्त मूल्य समाचार पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के आदेश/विनिश्चयन विरूद्ध अपील पर निर्णय लेगी तथा लिये गये निर्णय से जिला स्तरीय एमसीएमसी को अवगत करायेगी।

5. संभाग स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के विरूद्ध अपील–

5.1 विज्ञापन के प्रमाणन अथवा दमूस के मामले में संभाग स्तरीय एमसीएमसी के आदेश, निर्णय अथवा विनिश्चियन के विरूद्ध कोई भी अपील राज्य निर्वाचन आयोग को 15 दिन के अन्दर की जायेगी। संभाग स्तरीय एमसीएमसी यदि आवश्यक समझे तो सलाह लेने के लिए आयोग को भी संदर्भ भेज सकती है। जब कभी भी दमूस संबंधी शिकायती मामले आयोग को सीधे भेजे जाएंगे, आयोग ऐसे मामलों पर प्रारंभिक विचार–विमर्श करने के लिए उन्हें संभाग स्तरीय एमसीएमसी को अग्रेषित करेगा।

5.2 जहां जिला अथवा संभाग स्तरीय एमसीएमसी या राज्य निर्वाचन आयोग का किसी मामले में यह निर्णय अथवा विनिश्चिय हो जाता है कि यह एक दमूस मामला है तो ऐसे मामले संबंधित मीडिया के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए भारत प्रेस परिषद अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी को सम्प्रेषित किया जायेगा ।

6. अनुदेश तथा निर्देश जारी करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति–निर्वाचन आयोग–

(क) इस आदेश के किसी उपबन्ध को स्पष्ट करने के लिये;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये जो किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; और

(ग) किसी ऐसी विशेष स्थिति जिसके बारे में इस आदेश में कोई उपबंध नहीं है या इस आदेश में विद्यमान उपबंध अपर्याप्त है और निर्वाचन आयोग की राय में ऐसे अनुदेश अथवा निर्देश जारी करना आवश्यक है;

समुचित अनुदेश तथा निर्देश जारी कर सकेगा।

हस्ता./–

(ठाकुर राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

Raipur, the 7th November 2019

THE ELECTION EXPENSES (CONSTITUTION OF MEDIA CERTIFICATION AND MONITORING COMMITTEE AND REGULATION OF PAID NEWS) ORDER 2019

ORDER

No. F-54-2/Three-(Two)/N.P./Misc./2019/2193.— Free and fair election are paramountly necessary for democracy. No election can be free in the shadow of money power.Election of Municipalities is also an important part of democracy ;

Whereas the superintendence, direction and control of all elections to Municipalities in the State of Chhattisgarh are vested in the State Election Commission by the Constitution of India;

And, Whereas, section 14-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 32-A of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (no. 37 of 1961) cast an obligation on every candidate at an election of Councilor of a Municipal Corporation or Municipal council or Nagar Panchayat, as the case may be, to keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent with such particulars as may be prescribed by the State Election Commission;

And, Whereas, section 14-B of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and section 32-B of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) cast another obligation on every contesting candidate at an election of Councilor of a Municipal Corporation or Municipal council or Nagar Panchayat, as the case may be, to lodge within thirty days from the date of election, with the officer notified by the State Election Commission an account of his election expenses;

And, Whereas, with other means, the State Election Commission deems it necessary to curb the pernicious role of money power in elections that the account of election is reflective of the actual expenditure;

And, Whereas, the election expenses (maintenance and lodging of account) order, 2019 dated 31-10-2019 has been issued by the State Election Commission in connection with maintenance and lodging of election expenses in municipal elections;

Now, Therefore, in exercise of its power conferred by section 14-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 32-A of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37of 1961) read with Article 243-ZA of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, in order to make the provisions of the Constitution of the India and the said acts more effective, the State Election Commission, hereby makes the following order:

1. Short title, extent, application and commencement

(1) This order may be called the Election Expenses (Constitution of Media Certification and Monitoring Committee and Regulation of Paid News) order 2019.

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh State.

(3) It comes into the force on the date of publication of its hindi version in the Chhattisgarh Gazette.

2. **Definition and Interpretation-** In this order, unless the context otherwise requires-

(a) Candidate means a person who has been dully nominated as a candidate at an election to the office of Counciller of a Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat;

(b) 'Paragraph' means a paragraph of this order;

(c) 'Election' means an election to the office of Councillor of a Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat;

(d) 'Comptroller of Election Expenditure' shall carry the same meaning assigned to it in Election Expenditure (Maintenance and Lodging of Account) order 2019 dated 31st October 2019;

(e) 'contesting candidate' means a person who has been dully nominated as a candidate at an election to the office of Councillor of a Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat and who has not withdrawn his candidature within the period specified in the election rules;

(f) 'Election expenses' means any expenditure incurred or authorized by a candidate or his election agent in connection with election during the period between the dates on which he has been nominates and the date on which result thereof has been declared (both days inclusive);

(g) 'Media Certification and Monitoring committee (MCMC) means the committee constituted under paragraph 3 or 4;

(h) 'Paid News' means any News or analysis appearing in any print or electronic media for a price in cash or kind as consideration; and

(i) The words and expressions used, which have not been defined in this order, shall carry the meaning assigned to them in the chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) or the Chhattisgarh Nagarpalika Nirvachan Niyam 1994, as the case may be;

3. District Level Media Certification and Monitoring Committee (MCMC)

3.1 The District level MCMC shall be formed for the election in each District with the Following members:

a.	District Election Officer	- Chairman
b.	Assistant Director/Deputy Director Public Relation posted in the District	- Member Secretary
c.	One journalist from a principal news papers Circulating in the district, nominated by the District Election Officer	- Member

3.2 The District Level MCMC shall Discharge two distinct functions, namely:

(1) Deciding after consideration on advertisement for certification of advertisement; and

(2) Examining complaints/issues of Paid News, etc. through a monitoring arrangement.

3.3 MCMC shall scan all media, e.g. news papers, print media, electronic media, cable network, internet, social media, etc. for the matters mentioned hereunder :

a. On arriving at a conclusion after enquiry that a case pertains to the class of Paid News, it shall intimate the Returning Officer for issue of notices to candidates for inclusion of actual expenditure on the published matter in their election expenses account irrespective of whether the candidates actually have paid or not such amount to the channel / Newspaper. The Returning Officer concerned after giving a reasonable opportunity in his election expenditure account. A copy of the notice in respect of suspected cases of Paid news shall be marked to the Comptroller of Expenditure. It shall also actively consider Paid News cases inferred to it by the Comptroller of Expenditure.

b. Monitoring of political advertisements in electronic media for checking if the telecast / broadcast has been done only after certification by the committee and accordingly.

c. In view of election, monitoring of political advertisement in other media, in relation to the candidates (this will also include appeal or advertisement or publicity by others, either overtly or covertly to impact candidates' electoral prospects).

d. If the advertisement are issued with the authority of the concerned candidate; in which case it will be accounted for in the election expenses of the candidate ? Action may be taken, if the advertisement is given without the authority of candidate, for prosecution of the publisher for violation of section 171H of the Indian Panel Code.

e. If the names and addresses of the publisher and the printer are printed / written on any election pamphlet, poster, hand bill and other document as required under Section 14A of the Chhattisgarh Local Authority (Electoral Offences) Act, 1964. If any printed material does not bear on its face the name and address of the printer or the publisher, MCMC shall bring it to the notice of the Returning Officer for necessary action. For the purpose of section 14A of the Chhattisgarh Local Authority (Electoral Offences) Act, 1964, Paid News would also fall in the category of other document.

4. Division Level MCMC

4.1 An appeal may be made against any order or decision of the District level MCMC before the Division Level MCMC within 15 days of the receipt of the order or decision of the District level MCMC.

4.2 In each division of the State there shall be a Division Level MCMC, which shall have a chairman and members as follows :

(a)	Divisional Commissioner	-	Chairman
(b)	Joint Director Public Relation	-	Member Secretary
(c)	One journalist of the principal news paper circulating in the division, nominated by the Commissioner	-	member

4.3 The Division level MCMC shall discharge two sets of functions, namely : -

Above Division level MCMC shall decide / order on appeal against the order / decision of the District level MCMC on advertisement & Paid News and shall inform to District level MCMC with decision taken.

5. Appeal against the orders of the Division Level MCMC.

5.1 Appeal against the order or decision of the Division Level MCMC in the cases of certification of advertisement or of Paid News shall be made to the State Election Commission within 15 days of the order or decision. The Division Level MCMC can also make a reference to the Commission for obtaining advice, if it deems it necessary. Whenever complaints on Paid News cases are sent to the Commission directly, the Commission shall forward such cases to the Division Level MCMC for initial Consideration.

5.2 Where the District level or Division level MCMC or State Election Commission order or decides in any case that it is a case of Paid News, such cases shall be conveyed to the Press Council of India or any other Competent Authority for further action in relation to the Media Concerned.

6. Power of State Election Commission to issue instructions and directions. - The State Election Commission may issue appropriate instructions or directions -

(a) For the clarification of any provision of this Order.

(b) For the removal of any difficulty which may arise in relations to the implementation of any provision; and

(c) For any special situation for which, there is no provision in this order, or the existing provisions in this order are insufficient and in the opinion of the State Election Commission, it is necessary to issue such instructions or directions.

Sd/-

(Thakur Ram Singh)
State Election Commissioner.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.